आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
19.10.15	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं0 112/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम सुनील सिंह, थाना-पानापुर आदेश पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5708/चुनाव/गो0, दिनांक 15.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व सुनील सिंह, पिता-रामनाथ सिंह, सा0-चकिया, थाना-पानापुर, जिला-सारण के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1613, दिनांक 07.10.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:- 1. पानापुर थाना कांड संख्या-08/2011, दिनांक 03.02.2011 धारा147/148149/452/341/342/323/380/427/436/307 भा0द0वि एवं 27 शस्त्र अधि0 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट में आरोपित। इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरूद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 688/15, दिनांक 30.09.15 एवं 511/15, दिनांक 24.09.15 दर्ज किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 918, दिनांक 17.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 19.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी के द्वारा अपना जबाव एवं हाजरी 19.10.2015 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.10.2015 को विपक्षी उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। विपक्षी के द्वारा बताया गया कि विपक्षी कानून का सम्मान करने वाला एक व्यक्ति है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांड राजनीति की वजह से उनके गॉव के शत्रुओ के द्वारा झूठा मूकदमा करके उन्हे फसाया गया है। उनकी पत्नी सुनिता देवी उस समय मुखिया का चुनाव जीती थी। इसलिए पराजित उम्मीदवार के द्वारा जलन से उनके विरूद्ध एक केस में उनका नाम दे दिया गया। वर्तमान	

में वे जमानत पर है। वह आने वाले चुनाव में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। उनके विरूद्ध धारा 3 की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में विपक्षी के विरूद्ध एक कांड एवं दो सनहा का उल्लेख किया गया है। इन कांडो के निष्पादन के संबंध में विपक्षी के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्‌देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरूद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ कि विपक्षी सुनील सिंह, पिता–रामनाथ सिंह, सा0–चकिया, थाना–पानापुर, जिला–सारण के विरूद्ध दर्ज कांड का निष्पादन नहीं हुआ है। उनके द्वारा किसी भी वाद के समाप्त होने तथा उन्हें दोषमुक्त किए जाने संबंधी कोई भी न्यायादेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्‌देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के अंतर्गत विपक्षी के विरूद्ध कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि **इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को मशरख थाना, छपरा में अपनी हाजरी प्रतिदिन दो बार–9:00 प्रातः एवं 5:00 बजे सायं में अंकित करना सुनिश्चित करेंगें।** इस आशय का दैनिक प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, मशरख थाना अधोहस्ताक्षरी सहित पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, तथा संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें। **यदि विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो थानाध्यक्ष, मशरख थाना, छपरा इससे संबंधित प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित करेंगें।**

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित संलग्न प्रपत्र में रूपये 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्त्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम पानापुर थाना पर प्रातः

7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगें। थानाध्यक्ष पानापुर थाना को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

19/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा।

19/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 939 /न्या0,दिनांक 19.10.15

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीध्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष, पानापुर एवं थानाध्यक्ष, मशरख थाना, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सुनील सिंह, पिता-रामनाथ सिंह, सा0-चकिया, थाना-पानापुर, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला बिधि शाखा
सारण,छपरा।

19/10/15

CCA. 112-15 Sunil singh DHARA 3